"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2015—ज्येष्ठ 22, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक एफ 1-02/2015/1-15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री दिलराज प्रभाकर, भा.व.से. (2008) वन मण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वन मण्डल, खैरागढ़ की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री निर्मल कुमार खाखा, भा.प्र.से. (2000), आयुक्त, आ.जा. एवं अनु.जा. विकास तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है तथा साथ-साथ अपर आयुक्त, सरगुजा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

2. श्री हेमंत कुमार पहारे, भा.प्र.से. (2002), अपर आयुक्त, बिलासपुर एवं सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

3. सुश्री रीता शांडिल्य, भा.प्र.से. (2004), सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला बेमेतरा के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005), कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्री बासवाराजू एस., भा.प्र.से. (2007), कलेक्टर, जिला बेमेतरा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्थ करता है.

6. श्री जयप्रकाश मौर्य, भा.प्र.से. (2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2015

क्रमांक एफ 1-02/2015/1-15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती शालिनी रैना, भा.व.से. (2001), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (वाटरशेड मिशन), रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती संगीता पी., भा.प्र.से. (2004), मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा अपर विकास आयुक्त, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है तथा इसके साथ-साथ संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

श्रीमती संगीता पी. के द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़, रायपुर का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. (1993), सचिव, वित्त एवं वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन छोड़कर) विभाग तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ केवल आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पदभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2015

क्रमांक एफ 7-22/2015/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री के. मैचियो, वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमंडल, जशपुर को दिनांक 25-05-2015 से 06-06-2015 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 24 मई तथा 07 जून 2015 के राजपत्रित अवकाश उपभोग के साथ अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मैचियो, वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमंडल, जशपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मैचियो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैचियो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2015

क्रमांक एफ 1-04/2006/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आशुतोष मिश्रा, भा.व.से. को दिनांक 08-06-2015 से 19-06-2015 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आशुतोष मिश्रा, भा.व.से. को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 31011/4/2008-Estt.(A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार अधिकतम 10 दिवस का अर्जित अवकाश नगदीकरण (समर्पित) करने की अनुमति दी जाती है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समर्पित अवकाश का समायोजन, संबंधित अधिकारी के अवकाश लेखा में किया जाकर आवश्यक प्रविष्टियां उनकी सेवा-पुस्तिका में कर दी गई है.

4. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा, वन संरक्षक, वन प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली वनमण्डल, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

5. अवकाश अवधि में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2015

क्रमांक एफ 1-10/2004/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री एस. एल. साव, भा.व.से. को दिनांक 08-06-2015 से 19-06-2015 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. एल. साव, भा.व.से. को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 31011/4/2008-Estt.(A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार अधिकतम 10 दिवस का अर्जित अवकाश नगदीकरण (समर्पित) करने की अनुमति दी जाती है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समर्पित अवकाश का समायोजन, संबंधित अधिकारी के अवकाश लेखा में किया जाकर आवश्यक प्रविष्टियां उनकी सेवा-पुस्तिका में कर दी गई है.

4. अवकाश से लौटने पर श्री साव, को अवकाश वेतन भत्ता प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे

5. अवकाश अवधि में श्री साव, को वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2015

क्रमांक एफ 7-20/2015/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जे. श्रीराम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा को दिनांक 18-05-2015 से 30-05-2015 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 16-17 तथा 31 मई 2015 के राजपत्रित अवकाश उपभोग के साथ अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री श्रीराम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2015

क्रमांक-एफ-7-07/2015/एक-14 /भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री ए. एम. जूरी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यो/प्र., पुलिस मुख्यालय रायपुर को दिनांक 18-05-2015 से 16-06-2015 तक कुल 30 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 16 एवं 17-05-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए.एम.जूरी आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यो/प्र., पुलिस मुख्यालय रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जूरी को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जूरी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री जूरी की अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यो/प्र., पुलिस मुख्यालय रायपुर के पद का प्रभार श्री के.सी.अग्रवाल, भापुसे सहायक पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2015

क्रमांक-एफ-7-08/2015/एक-14 /भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आर. पी. साय, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय रायपुर को दिनांक 01-06-2015 से 19-06-2015 तक कुल 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 31-05-2015 एवं 20/21-06-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. साय, आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री साय को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साय, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री साय की अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय रायपुर के पद का प्रभार श्री संजय शर्मा, (रापुसे) सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2015

क्रमांक-एफ-1-38/2013/एक-14 /भापुसे.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13-05-2015, जिसके द्वारा श्रीमती सोनल व्ही. मिश्रा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय रायपुर का दिनांक 11-05-2015 से 30-05-2015 तक (कुल 20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती सोनल व्ही. मिश्रा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) को दिनांक 18-05-2015 से 30-05-2015 तक (कुल 13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 16/17-05-2015 एवं 31-05-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

3. आदेश दिनांक 13-05-2015 को शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2015

क्रमांक एफ 7-13/2015/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री एस. एस. बजाज, भा.व.से., आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छ.ग., रायपुर को दिनांक 25-05-2015 से 06-06-2015 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बजाज, आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छ.ग., रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बजाज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बजाज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2015

क्रमांक एफ 7-04/2014/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री प्रताप सिंह, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर को दिनांक 03-06-2015 से 12-06-2015 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रताप सिंह, भा.व.से. को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 31011/4/2008-Estt.(A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार अधिकतम 10 दिवस का अर्जित अवकाश नगदीकरण (समर्पित) करने की अनुमति दी जाती है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समर्पित अवकाश का समायोजन, संबंधित अधिकारी के अवकाश लेखा में किया जाकर आवश्यक प्रविष्टियां उनकी सेवा-पुस्तिका में कर दी गई है.

4. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

5. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2015

क्रमांक एफ 1-43/2001/एक /15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जे.के. उपाध्याय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वि./यो.), रायपुर को दिनांक 08-06-2015 से 12-06-2015 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जे. के. उपाध्याय, भा.व.से. को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 31011/4/2008-Estt.(A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार अधिकतम 10 दिवस का अर्जित अवकाश नगदीकरण (समर्पित) करने की अनुमति दी जाती है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समर्पित अवकाश का समायोजन, संबंधित अधिकारी के अवकाश लेखा में किया जाकर आवश्यक प्रविष्टियां उनकी सेवा-पुस्तिका में कर दी गई है.

4. अवकाश से लौटने पर श्री उपाध्याय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वि./यो.), रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

5. अवकाश अवधि में श्री उपाध्याय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2015

क्रमांक एफ 7-18/2014/एक /15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जयसिंह म्हस्के, मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार), छत्तीसगढ़ को दिनांक 25-05-2015 से 30-05-2015 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24 एवं 31 मई 2015 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति देते हुए अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री म्हस्के, मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार), छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री म्हस्के को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री म्हस्के अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक 294/382/अव./2010/1-8/स्था.—श्री जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग को दिनांक 27-05-2015 से 06-06-2015 तक 11 दिवस का (दिनांक 07-06-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जेवियर केरकेट्टा आगामी आदेश तक अवर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जेवियर केरकेट्टा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जेवियर केरकेट्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक 296/132/अव./2007/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 207-208/132/अव./2007/1-8/स्था. दिनांक 16-04-2015 द्वारा श्री वीरेन्द्र गुप्ता, स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को पूर्व में दिनांक 02-05-2015 से 08-05-2015 तक 07 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 09-05-2015 से 11-05-2015 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 16-04-2015 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक 298/273/अव./2014/1-8/स्था.—श्री याकुब खेस्स, उप सचिव, श्रम विभाग को दिनांक 18-05-2015 से 30-05-2015 तक 13 दिवस का (दिनांक 16, 17, 31-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री याकुब खेस्स आगामी आदेश तक उप सचिव, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री याकुब खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री याकुब खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक 300/409/2015/1-8/स्था.—श्री बी. सी. साहू, विशेष सहायक, मान. मंत्री महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग को दिनांक 28-05-2015 से 08-06-2015 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी.सी. साहू आगामी आदेश तक विशेष सहायक, मान. मंत्री महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी.सी. साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. सी. साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक 302/3292/2007/1-8/स्था.—श्री चंद्रशेखर ओंकार, अवर सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 20-04-2015 से 30-04-2015 तक 11 दिवस का (दिनांक 18, 19-04-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चंद्रशेखर ओंकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चंद्रशेखर ओंकार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चंद्रशेखर ओंकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक 304/31/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, अवर सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 18-05-2015 से 30-05-2015 तक 13 दिवस का (दिनांक 16, 17, 31-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती एमरेंसिया खेस्स आगामी आदेश तक अवर सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती एमरेंसिया खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती एमरेंसिया खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक 306/1033/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एम.एम. मिंज, उप सचिव, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 18-05-2015 से 28-05-2015 तक 11 दिवस का (दिनांक 16, 17-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम. मिंज आगामी आदेश तक उप सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एम. मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एम. मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक 322/485/अव./2010/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 05-05-2015 से 08-05-2015 तक 04 दिवस का (दिनांक 03, 04, 09, 10-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एल. सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक 326/524/अव./2010/1-8/स्था.—श्री के. एस. गुर्जर, अवर सचिव, ऊर्जा विभाग को दिनांक 22-04-2015 से 05-05-2015 तक 14 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. गुर्जर आगामी आदेश तक अवर सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. एस. गुर्जर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एस. गुर्जर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक 328/332/अव./2014/1-8/स्था.—श्रीमती अमृता बेक, उप सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 18-05-2015 से 30-05-2015 तक 13 दिवस का (दिनांक 16, 17, 31-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अमृता बेक आगामी आदेश तक उप सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती अमृता बेक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अमृता बेक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक 330/619/अव./2011/1-8/स्था.—श्री जी. एल. सांकला, अवर सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 29-04-2015 से 07-05-2015 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. एल. सांकला आगामी आदेश तक अवर सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जी. एल. सांकला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. एल. सांकला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2015

क्रमांक 336/504/अव./2009/1-8/स्था.—श्री राम प्रसाद राठिया, अवर सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 05-05-2015 से 15-05-2015 तक 11 दिवस का (दिनांक 03, 04, 16, 17-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राम प्रसाद राठिया आगामी आदेश तक अवर सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राम प्रसाद राठिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राम प्रसाद राठिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2015

क्रमांक 4859/1167/21-ब/छ.ग./2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री चन्द्रमोहन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) जिला-जशपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद् 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2015

क्रमांक 4861/1167/21-ब/छ.ग./2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री रामप्रकाश पाण्डेय, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-जशपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद् 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक 2373/एफ-6-22-31-एस-2-2013.—एतद्द्वारा राज्य शासन रायगढ़ जिले की "केलो परियोजना" का नाम "स्व. दिलीप सिंह जूदेव वृहद् सिंचाई परियोजना" करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. गुप्ता, उप-सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2015

क्रमांक/एफ 19-02/2012/25.2.—हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानानुसार राज्य हज कमेटी के नामांकित सदस्यों द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2015 को राज्य हज कमेटी की प्रथम सभा में सर्वसम्मति से हज कमेटी के अध्यक्ष पद पर श्री सैफुद्दीन बबलु का चुनाव किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन, एतद्द्वारा, हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री सैफुद्दीन बबलु को छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी का अध्यक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 मई 2015

क्रमांक एफ 7-7/2004/XII.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-3 (छः) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश, 2006 एवं इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-9/2011/बारह, दिनांक 25 जनवरी, 2014 के प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त मूल निर्देश की कंडिका 4(4) के बाद निम्नानुसार 4(4क) अंत:स्थापित किया जाता है :—

"4(4क)(एक). रेत खदानों का संचालन अनुमोदित उत्खनन प्लान के अनुसार ही किया जायेगा. उत्खनन प्लान बनवाने और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन कराने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय की होगी."

(दो). उत्खनन प्लान जिले में पदस्थ खनि निरीक्षक जो भू-विज्ञान विषय के साथ स्नातक अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग की उपाधि धारक हो, के द्वारा तैयार कराया जायेगा.

(तीन). उत्खनन प्लान का अनुमोदन जिले में पदस्थ ऐसे खनि अधिकारी/उप संचालक (खनिज प्रशासन) जो भू-विज्ञान विषय के साथ स्नातक अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग उपाधि धारक हो, के द्वारा किया जायेगा.

(चार). उक्त अर्हताधारित उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी जिले में पदस्थ नहीं होने की स्थिति में पड़ोसी जिला कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म में पदस्थ उक्त अर्हताधारित उप संचालक/खनि अधिकारी द्वारा उत्खनन प्लान का अनुमोदन किया जायेगा.

2. मूल निर्देश की कंडिका 4(9)(ख) के बाद निम्नानुसार 4(9)(ग) अंतःस्थापित किया जाता है.

"4(9)(ग). रेत खनन के उत्खनन प्लान तैयार कराने के लिये व्यय."

3. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक-एम. पी./3799 को दिनांक 08-05-2015 से 30-09-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मई 2015

क्रमांक एफ 6-31/2015/वाक./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़, रायपुर के लिए उपायुक्त के रिक्त एक पद को abeyance में रखते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए अपर आयुक्त का एक असंवर्गीय पद, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक (वेतनमान रुपये 37400-67000, ग्रेड वेतन रुपये 8700/-) में सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उपरोक्त पद के लिए होने वाला व्यय मांग संख्या-07, मुख्य शीर्ष-2040, बिक्री व्यापार आदि पर कर-001, निर्देशन एवं प्रशासन (3569), मुख्यालय स्थापना व्यय पर विकलनीय होगा.

3. उपरोक्त स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग के जावक क्र. 151/सचिव/वित्त/2015, दिनांक 18-05-2015 द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2015

क्रमांक एफ 6-88/2009/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में अधिसूचित करता है :—

अनु. क्र.	संस्था का नाम	पूरा पता	जिला/क्षेत्र का नाम जहां सेवा प्रदाता के रूप में कार्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान लखनपुर, जिला-सरगुजा.	लखनपुर बाजार पारा, जिला-सरगुजा (छ.ग.) 497116	राजस्व जिला-सूरजपुर
2.	संज्ञा बहुउद्देशीय विकास संस्थान भटगांव, जिला-सूरजपुर.	क्वा. नं. बी/35, जरही भटगांव, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) 497235	—,,—
3.	काईंट केयर सोसायटी (नॉलेज ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी एण्ड एजुकेशन केयर सोसायटी) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया.	कलेक्ट्रेट कार्यालय के बगल में मेनरोड, छिन्दडांड, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	राजस्व जिला-कोरिया
4.	उपकार सेवा समिति बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया.	स्कूल पारा, शा.आ.रा.उ.मा.वि. के पास बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.) 497335	—,,—

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	सृजन सामाजिक संस्था, जिला-राजनांदगांव	ममता नगर गली नं. 05 पंचशील कालोनी, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	राजस्व जिला-दंतेवाड़ा
6.	जनसमर्पण सेवा संस्थान, नारायणपुर	नया बस स्टैण्ड के पास देवी सिंह माझी जिला-नारायणपुर (छ.ग.) 494661	राजस्व जिला-नारायणपुर

अधिसूचित संस्थायें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेगी. साथ ही पीड़िता को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा एवं आवश्यकतानुसार आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करायेंगी. संस्था आवश्यकतानुसार/मांगे जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

उक्त आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2015

क्रमांक 1578/एफ 24/01/2015/13-2.—यत: केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर सेपरेशन, उप पारेषण एवं वितरण लाइनों के सुदृढ़ीकरण, प्रत्येक स्तर पर मीटरीकरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण लाइनों के सुदृढ़ीकरण, मीटरीकरण एवं वितरण प्रणाली में सूचना तंत्र के उपयोग हेतु Integrated Power Development Scheme (IPDS) लागू की गई है.

2. अतएव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 41/1/2015-आरई दिनांक 01-04-2015 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं आईपीडीएस योजना एवं ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्र प्रसारित समस्त योजनाओं हेतु डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तैयार करने हेतु सुझाव, योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा विभिन्न मुद्दों पर अंतर्विभागीय समन्वय एवं मार्गदर्शन हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में जिला विद्युत समिति (District Electricity Committee) गठित करती है. इस समिति का स्वरूप निम्नानुसार है :—

1.	जिले के वरिष्ठ सांसद	अध्यक्ष
2.	जिले के अन्य सांसद	उपाध्यक्ष
3.	जिला पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
4.	जिले के विधायकगण	सदस्यगण
5.	जिला कलेक्टर	संचालक
6.	जिले में पदस्थ पीजीसीआईएल/एनटीपीसी/एसईसीएल के महाप्रबंधक स्तर से अनिम्नस्तर के अधिकारी.	सदस्यगण
7.	जिले में पदस्थ क्रेडा के अधिकारी	सदस्य
8.	वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता	सदस्य सचिव

समिति द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकेगा.

3. **समिति के दायित्व :**

3.1 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं आईपीडीएस योजना एवं ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्र प्रसारित समस्त योजनाओं का जिले में क्रियान्वयन हेतु डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तैयार करने हेतु सम्पर्क एवं मार्गदर्शन, योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा विभिन्न मुद्दों पर अंतर्विभागीय समन्वय करना.

3.2 जिले में विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता एवं उपभोक्ता की संतुष्टि की समीक्षा तथा ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन करना.

3.3 राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/अभिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित करना.

समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार आहूत किये जाने एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन नोडल एजेंसी यथा आरईसी एवं पीएफसी को प्रेषित करने का दायित्व सदस्य सचिव का रहेगा तथा उक्त समिति का बैठक कार्यवाही विवरण जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9//2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमित अग्रवाल (भा.प्र.से.), सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 1-2/2015/1-15, दिनांक 13-04-2015 के अनुसार श्री डी. एस. मिश्रा (भाप्रसे 1982), अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की पदस्थापना अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ तथा महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमित अग्रवाल (भा.प्र.से.), सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 1-2/2015/1-15, दिनांक 13-04-2015 के अनुसार श्री डी. एस. मिश्रा (भाप्रसे 1982), अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की पदस्थापना अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ तथा महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमित अग्रवाल (भा.प्र.से.), सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 1-2/2015/1-15, दिनांक 13-04-2015 के अनुसार श्री डी. एस. मिश्रा (भाप्रसे 1982), अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की पदस्थापना अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ तथा महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमित अग्रवाल (भा.प्र.से.), सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 1-2/2015/1-15, दिनांक 13-04-2015 के अनुसार श्री डी. एस. मिश्रा (भाप्रसे 1982), अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की पदस्थापना अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ तथा महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमित अग्रवाल (भा.प्र.से.), सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 1-2/2015/1-15, दिनांक 13-04-2015 के अनुसार श्री डी. एस. मिश्रा (भाप्रसे 1982), अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की पदस्थापना अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ तथा महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. बी. अग्रवाल, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कं. मर्यादित के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. बी. अग्रवाल, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कं. मर्यादित के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. बी. अग्रवाल, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कं. मर्यादित के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित आनंद (भा.प्र.से.), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कं. मर्यादित के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सा.प्रशा. विभाग के आदेश क्र. एफ 1-2/2015/1-15, दिनांक 13-04-2015 के अनुसार वर्तमान में श्री सुबोध कुमार सिंह (भाप्रसे), सचिव मुख्यमंत्री, सचिव, खनिज साधन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा अध्यक्ष, सीएमडीसी, रायपुर में पदस्थापना होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित आनंद (भा.प्र.से.), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कं. मर्यादित के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सा.प्रशा. विभाग के आदेश क्र. एफ 1-2/2015/1-15, दिनांक 13-04-2015 के अनुसार वर्तमान में श्री सुबोध कुमार सिंह (भाप्रसे), सचिव मुख्यमंत्री, सचिव, खनिज साधन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा अध्यक्ष, सीएमडीसी, रायपुर में पदस्थापना होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित आनंद (भा.प्र.से.), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कं. मर्यादित के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सा.प्रशा. विभाग के आदेश क्र. एफ 1-2/2015/1-15, दिनांक 13-04-2015 के अनुसार वर्तमान में श्री सुबोध कुमार सिंह (भाप्रसे), सचिव मुख्यमंत्री, सचिव, खनिज साधन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा अध्यक्ष, सीएमडीसी, रायपुर में पदस्थापना होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2015

क्रमांक एफ 7-35/2014/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 03-1-2015 द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

नया रायपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बनरसी प.ह.नं. 115	686/1, 688/3, 691/2, 691/3, 691/4	1.36 हेक्टेयर	जलाशय	कृषि
2.	बंजारी प.ह.नं. 28	16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 23, 29, 30/1, 30/2, 34	7.68 हेक्टेयर	जलाशय	कृषि

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण नया रायपुर विकास योजना 2031 में त्रुटि सुधार हेतु.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण नया रायपुर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2015

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2015 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 09-58/गृह-सी/परीक्षा/2014.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 03 अगस्त, 2015 से 10 अगस्त, 2015 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 03-08-2015

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 03-08-2015	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 04-08-2015

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 04-08-2015

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

बुधवार, दिनांक 05-08-2015

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक शाखा" प्रश्नपत्र.	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 05-08-2015

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

गुरुवार, दिनांक 06-08-2015

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	गुरुवार, दिनांक 06-08-2015	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 07-08-2015	
45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

शुक्रवार, दिनांक 07-08-2015

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
	शुक्रवार, दिनांक 07-08-2015	
51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 08-08-2015 एवं रविवार 09-08-2015 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 10-08-2015	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10-07-2015 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 22 मई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	हीरापुर प.ह. नं. 18	1.430	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	घरजियॉबथान जलाशय की हीरापुर शाखा नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जमरगी “बी” प.ह. नं. 38	3.031	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दायीं तट जमरगी “बी” शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	गोढ़ी प.ह. नं. 27	3.023	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दायीं तट शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	नारायणपुर प.ह. नं. 2	0.414	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	किलकिला एनीकट योजना के पिकप एवं सड़क का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह. नं. 38	0.400	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के जामझोर टोंगरी शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह. नं. 38	0.999	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के बायीं तट जामझोर शाखा नहर क्र. 2 का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह. नं. 38	1.832	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के बायीं तट जामझोर टेल शाखा नहर क्र. 6 का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ–82/2014–15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह. नं. 38	0.724	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के बायीं तट जामझोर शाखा नहर का भू–अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ–82/2014–15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर मनोहरपारा प.ह. नं. 38	0.775	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के बायीं तट जामझोर मनोहर पारा शाखा नहर क्र. 5/2 का भू–अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह. नं. 38	2.240	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के बायीं तट जामझोर कोंडार पारा शाखा नहर क्र. 3 का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 29 अप्रैल 2015

क्रमांक/735 क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ./82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	चनाभाठा	3.53	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जल प्लावन योजना शाखा मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक 3/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	पण्डरीपानी प.ह. नं. 12	4.340	कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग, जगदलपुर.	अटल विहार योजना अन्तर्गत आवासीय कालोनी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता छ.ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक/135/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/11/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	बड़ेटेमरी नकटीनाला तु. प.ह.नं. 46	1.44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)	लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक/137/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/15/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	लोहरिनडोंगरी प.ह.नं. 46	2.42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)	लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक/139/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/05/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	पिपरौद प.ह.नं. 45	5.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)	लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक/141/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	गिरना प.ह.नं. 29	10.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)	लोंवर जोंक बैराज के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक/143/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/09/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	सगुनढाप तु. प.ह.नं. 45	0.53	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)	लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक/145/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/07/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	परसवानी प.ह.नं. 52	0.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)	लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक/147/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/06/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	उतेकेल प.ह.नं. 45	2.01	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)	लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक/149/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/04/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	परसवानी प.ह.नं. 52	9.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)	लोंवर जोंक बैराज के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक/151/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	बड़ेलोरम प.ह.नं. 44	7.99	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)	लोंवर जोंक बैराज के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक/153/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	डुमरपाली प.ह.नं. 29	6.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)	लोंवर जोंक बैराज के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नारायणपुर, दिनांक 27 मई 2015

क्रमांक/01/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नारायणपुर	नारायणपुर	नेलवाड़ प.ह.नं. 11	3.89	कार्यपालन अभियंता, (सि-पारे) छ. ग. रा. वि. पारे. कं. मर्या. जगदलपुर.	ग्राम-नेलवाड़ में 220/132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नारायणपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टामनसिंह सोनवानी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 21 मई 2015

क्रमांक/3302/भू-अर्जन/कले./2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	चारामा	लखनपुरी	53.30	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उत्तर बस्तर, कांकेर.	नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जून 2015

क्रमांक 8441/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कांशीगढ़ प.ह.नं. 16	0.234	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-6, नंदेलीभांठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत सोन नदी पर बेलकर्री एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जून 2015

क्रमांक 8442/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	गौरमुड़ा प.ह.नं. 06	1.005	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-6, नंदेलीभांठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत बोराई नदी पर नंदेली भांठा एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जून 2015

क्रमांक 8443/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बरेकेल खुर्द प.ह.नं. 23	1.566	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	भातमाहुल - बोईरडीह मार्ग पर बोराई नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जून 2015

क्रमांक 8444/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सिंगनसरा प.ह.नं. 20	0.060	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	सक्ती - सिंगनसरा - नवापारा मार्ग पर बोराई नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जून 2015

क्रमांक 8445/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	ठठारी प.ह.नं. 02	0.061	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	ठठारी-बरभांठा मार्ग पर सोन नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जून 2015

क्रमांक 8446/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नवापारा प.ह.नं. 11	0.165	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	सक्ती - सिंगनसरा - नवापारा मार्ग पर बोराई नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव अनंत तायल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 मई 2015

क्रमांक/16/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-उज्जलपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.560 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	97	1.560
योग	1	1.560

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तहत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक 3082/ज्ये.लि. 1/2015.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही जल जनित संक्रामक रोग जैसे उल्टी-दस्त, आन्त्रशोध, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बिमारियों के महामारी का रूप धारण करने की संभावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं डॉ. प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करती हूं.

2. जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैंडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिऐ रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग-सब्जियां, मिष्ठान, मॉस मछलियों, अनाज, रोटी मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे-बर्फ, आईस्क्रीम शीतल पेय, गंदा गन्नारस, आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभवाना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/ नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

3. जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

4. यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

प्रियंका शुक्ला,
कलेक्टर.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक 849/नग्रानि./अम्बिकापुर/वि.यो.-बलरामपुर/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट बलरामपुर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किए जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बलरामपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम अधौरा, सेमली एवं खुर्रा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम खुर्रा, ओवरी, भवानीपुर, नवाडीह कला, जावर एवं भेलवाडीह ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम भेलवाडीह, टांगर महरी एवं बड़की महरी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम बड़की महरी, बलरामपुर, भनौरा एवं अधौरा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

विमल कुमार बगवैया,
सहायक संचालक.

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 18 मई 2015

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2015/324.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय नया रायपुर के पत्र क्र./एल.एफ.ए./प्रशा./2015/2126, दिनांक 05-05-2015 से परिवीक्षाधीन ज्येष्ठ संपरीक्षक हेतु माह मई 2015 (दिनांक 12-05-15 से 15-05-15 तक) में आयोजित छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा, भाग-एक में सम्मिलित निम्नानुसार कर्मचारियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	रोल नंबर	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	1501	श्री अविनाश भट्ट	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परिवीक्षाधीन)
2.	1502	श्री पंकज कुमार मित्तल	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परिवीक्षाधीन)

हस्ता./-
संचालक.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2015

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/1213.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/3892-93 रायपुर, दिनांक 18-09-2012 द्वारा श्री एस. एस. दुबे, तहसीलदार कोटा को कृषि उपज मण्डी समिति कोटा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/वित्त-1/2015/2055 दिनांक 05-05-2015 द्वारा श्री के. एस. पैकरा तहसीलदार कोटा को कृषि उपज मंडी समिति कोटा जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एस.एस.दुबे, तहसीलदार कोटा का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री के. एस. पैकरा तहसीलदार कोटा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कोटा जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सी. आर. प्रसन्ना,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 15th May 2015

No. 340/Confdl./2015/II-2-1/2015.— The following member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted as District Judge from the date he assumes charge of his office and;

The following member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ram Prasanna Sharma, Presiding Officer, State Transport Appellate Tribunal.	Raipur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 15th May 2015

No. 343/Confdl./2015/II-2-2/2002 (Pt. II).— The following District Judge (Selection Grade), as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby appointed to the category of District Judge (Super Time Scale) in the Pay-Scale of Rs. 22850-500-24850 (Revised Rs. 70290-1540-76450) from the date mentioned in Column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present disignation (2)	Date of appointment to the category of District Judge (Super Time Scale) (3)
1.	Smt. Anuradha Khare, District & Sessions Judge, Mahasamund.	13-05-2015
2.	Shri Mahendrapal Singhal, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker).	13-05-2015
3.	Shri Gautam Chouradia, Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur.	13-05-2015
4.	Shri Shiv Mangal Pandey, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa.	13-05-2015
5.	Shri Ramesh Kumar Rathi, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur.	13-05-2015
6.	Shri Anand Kumar Beck, District & Sessions Judge, Bemetara.	13-05-2015
7.	Smt. Vimla Singh Kapoor, District & Sessions Judge Kabirdham (Kawardha)	13-05-2015

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2015

क्रमांक 3905/तीन-6-7/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक 4698 तीन-6-7/2000 दिनांक 28-06-2014 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्री प्रभाकर ग्वाल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

Bilaspur, the 15th May 2015

No. 3905/III-6-7/2000.— In exercise of the powers Conferred by sub-Section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 4698/III-6-7/2000, dated 28-06-2014 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur appoints Shri Prabhakar Gwal, Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Special Judicial Magistrate, (specially for C.B.I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/2262/21-B/C.G., dated 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) with effect from the date of his assumption of charge of his office.

The Head Quarter of the Court shall be at Raipur.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 20 मई 2015

क्रमांक 4022/दो-15-19/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य शासन के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा राज्य के सभी जिलों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) को पदेन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेद्ध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 21 (1) के क्रियान्वयन की सीमा तक, यह आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के लिए, वेष्ठित करता है.

Bilaspur, the 20th May 2015

No. 4022/II-15-19/2000.— In exercise of the powers Conferred by Section 13(1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and on the request of the Government of Chhattisgarh the High Court of Chhattisgarh hereby Conferred the powers of Judicial Magistrate of First Class, by designation, upon all the Sub-Divisional Magistrates of the State for a period of one year from the date of issuance of this order for trial of offences under Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.

By order of the High Court,
RAMASHANKAR PRASAD, I/c Registrar General.